राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर

Phone No. : 0141-2740440, 2740553, **Fax No.** : 0141-2740930, 2740440

Email : rajsldbjaipur@yahoo.co.in, **website** : www.rsldb.nic.in

क्रमांकः फा. आवि/5 % ब्याज छूट योजना/2018--19/13310-61 दिनांक :09.08.2018

सचिव,
प्रांथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
.....

विषय : दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 2018–19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्रांक फा050(3)सविरा/मोने/एस.ए./बजट घोषणा वि.सं. 109/ दिनांक 03.08.2018 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना की अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक है। **योजना के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2018–19 में बनने वाली मॉग का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत का अनुदान दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा।**

अनुमोदित 5 प्रतिशत ब्याज योजना की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 के मध्य प्राथमिक बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान तथा RSLDB द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 (यदि कोई हो) में वितरित ऋणों पर देय रियायत राशि के दावा प्रपत्र परिशिष्ठ–1 एवं 2 (संलग्न) में भरकर त्रैमासिक आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंषा पश्चात् राज्य बैंक को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राथमिक बैंकों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा अधिक से अधिक पात्र ऋणियों को मॉंग का चुकारा करने हेतु प्रेरित किया जावे जिससे कि बैंकों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह०

(विजय कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोने.), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक।
3. उप महाप्रबन्धक, लेखा एवं वित्त/वसूली/विधानसभा प्रकोष्ठ/प्रशासनिक एवं कार्मिक, बैंक।
4. सहायक महाप्रबन्धक, निरीक्षण एवं सुपरविजन, बैंक।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. .....
6. प्रबंधक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक
7. प्रबंध निदेशक प्रकोष्ठ

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःफा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/बजट घोषणा बि.सं.109/ दिनांक 03/08/2018

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
जयपुर।

419
06/08/18

PSD
6.8.18

विषय : वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकें द्वारा वितरित ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अनुमोदन बाबत्।

प्रसंग : आपका पत्रांक फा.आयो.एवं वि./5प्रति.bअ.यो./2018–19/2129–30/ दिनांक 25.4.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों द्वारा वितरित ऋणों पर "5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना" का अनुमोदन समसंख्यक पत्रावली के अनु. 73–74/एन में वित्त विभाग द्वारा अंकित शर्तो के साथ किया जाता है।

वित्त विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी एहवं अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

291

भवदीय

(दुर्गालाल बलाई)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग)

नेहरू सहकार भवन, 22गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740502, 2740166 (फैक्स)
ईमेल– आई डी. pdmho.coop@rajasthan.gov.in

447
03/08/2018

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

अति-आवश्यक

क्रमांकः प.17(12)सह / 2017

जयपुर, दिनांकः 01/08/18

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
राजस्थान, जयपुर।

Add (Mont)

2 AUG 2018

विषयः वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अनुमोदन बाबत्।

संदर्भः आपका पत्रांक फा. 50(3)सविरा / मोने / एस.ए. / बजट घोषणा बि.सं. 109 / 2017 दिनांक 22.06.2018

महोदय,

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋणों पर '5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना' का अनुमोदन समसंख्यक पत्रावली की नोटशीट के अनु. 73–74 / एन् में वित्त विभाग द्वारा अंकित शर्तों के साथ किया जाता है।

वित्त विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी एवं अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

1/8/18

(सुखवीर सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

1985
3/8

see
3/8/18

(45) (18)

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

वर्ष 2018—19 के लिए 'दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014—15 में बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 106 के द्वारा दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इसी तरह वर्ष 2015—16 मे भी बिन्दु संख्या 81 के द्वारा, वर्ष 2016—17 में बिन्दु संख्या 104 के द्वारा एवं वर्ष 2017—18 में बिन्दु संख्या 109 के द्वारा सम्बन्धित वर्ष की बजट घोषणाओं में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की गई थी।

वर्ष 2018—19 में भी इस योजना को जारी रखा गया है जिसके अनुसार, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ State Land Development Bank के माध्यम से दिया जायेगा एवं इस हेतु 17.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(1) पात्रता :

1. राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घ अवधि के कृषि ऋण मामले योजनान्तर्गत ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत वार्षिक अनुदान के पात्र होंगे। पात्र विभिन्न उद्देश्य निम्नानुसार है:—
   - लघु सिंचाई — नवकूप/नलकूप, कूप गहरा, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण इत्यादि।
   - **कृषि यंत्रीकरण** — ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर इत्यादि।
   - **कृषि सम्बद्ध गतिविधियां** — डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबन्दी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, उंट/बैल गाड़ी क्रय हेतु इत्यादि।
2. पात्र उद्देश्यों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक वितरित ऋणों की वित्तीय वर्ष 2018—19 में बनने वाली मॉग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कृषकों द्वारा देय कुल ब्याज राशि में से 5.00 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जावेगा, जिससे वर्ष 2018—19 में इन ऋणों की बनने वाली ब्याज की मांग पर प्रभावी ब्याज दर 5.00 प्रतिशत कम हो जावेगी।
3. ऋणी कृषक द्वारा मूलधन की मांग एवं ब्याज का समय पर चुकारा किया जाना इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पूर्व अनिवार्यता होगी।
4. ऋण/ब्याज का समय पर चुकारा करने में चूक करने वाले ऋणी कृषकों को योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान सहायता तत्काल रोक दी जावेगी एवं पूर्व में प्रदान की गई ब्याज अनुदान लाभ की राशि की वसूली की जाकर, भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ब्याज अनुदान नहीं दिया जावेगा।

(राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर)

5 % Interest scheme 2018-19.docx

संयुक्त शासन सचिव,

(2) योजना की अवधि :

यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए लागू होगी।

(3) ब्याज की गणना :

ब्याज की कुल मांग में से किसान के हिस्से की ब्याज की राशि वसूल कर शेष ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार के नामे ऋणी के खाते में अंकित की जावेगी। यदि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है तो भी राज्य सरकार का हिस्सा परिवर्तनीय नहीं होगा अर्थात ब्याज अनुदान 5.00 प्रतिशत ही दिया जावेगा।

(4) ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध कराने की प्रकिया :

4.1 **Nodal agency (SLDB) will assess the subsidy amount payable in the whole year** first and after earmarking required subsidy amount for the same year, remaining amount of provision after subsidy disbursement will be utilized by SLDB for the purpose of fresh long term agricultrural loans, so that total subsidy in the year 2018-19 may not exceed the available budget provision Rs. 17.50 Cr. for subsidy.

ब्याज अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर के पी.डी. खाते में निम्नानुसार हस्तांतरित की जावेगी :-

1. बजट प्रावधान रू. 17.50 करोड़ का 50 प्रतिशत तक — 30.06.2018
2. शेष 50 प्रतिशत — 31.12.2018

4.2 दिनांक 31.03.2019 तक वितरित ऋण के पेटे योजनान्तर्गत उपयोग की गई ब्याज अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को 30.04.2019 तक प्रस्तुत किया जावेगा।

4.3 दिनांक 31.05.2018 तक प्रदत्त ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर अनुदान राशि जून 2018 में जारी की जावेगी।

4.4 दिनांक 30.09.2018 तक प्रदत्त ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर राशि माह दिसम्बर, 2018 में जारी की जावेगी।

4.5 (i) दिनांक 29.02.2019 तक प्रदत्त ब्याज अनुदान के दावे मार्च, 2019 में प्राप्त होने पर अनुदान राशि या शेष बजट राशि (जो भी कम हो) तथा (ii) बजट प्रावधान की राशि रू. 17.50 करोड़ में से शेष रही राशि दिनांक 31.03.2019 तक संभावित ब्याज अनुदान के दावों के विरूद्ध राशि मार्च, 2019 में अग्रिम दिया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

(47)

4.6 दिनांक 31.03.2019 तक प्रदत्त ब्याज अनुदान के दावों का 15 अप्रैल, 2019 तक भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि पी.डी. खातें में शेष रहती है, तो 30 अप्रैल, 2019 तक राजकोष में जमा करावें अथवा वर्ष 2019–20 में प्राप्त दावों के पेटे समायोजित की जावे।

4.6 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुदान दावे मासिक रुप से माह समाप्ति के दस दिवस के भीतर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे।

4.7 निर्धारित दावा प्रपत्र में योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को राशि जारी कर दी जावेगी।

4.8 बजट घोषणा के अनुसार राशि रू. 17.50 करोड़ अथवा वास्तविक प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तक का ही ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इससे अधिक प्राप्त दावों का राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(5) दावों का प्रमाणीकरण :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक निर्धारित दावा प्रपत्रों (जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित किए जायेगें) में प्रस्तुत दावों का ऋण पर्यवेक्षक/शाखा सचिव/लेखाकार की अनुशंषा के आधार पर सैम्पल चैकिंग करते हुए सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा योजना की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना का प्रमाणीकरण किया जावेगा, तदोपरान्त संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा स्वीकृति हेतु अभिशंषा की जायेगी।

(6) दावों का समाशोधन :

योजना के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2018–19 में बनने वाली मॉग का ऋणी द्वारा समय पर चुकारा किए जाने की स्थिति में ही 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाकर कृषको को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(7) नॉडल एजेन्सी :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के दीर्घ अवधि के पात्र ऋणियों को ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने की योजना की कियान्विति हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक नॉडल एजेन्सी होगा।

(8) उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण :

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास से दावा राशि प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋणी के खाते में ब्याज राशि का समायोजन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र नॉडल एजेन्सी को भिजवाये जाने हों।

संयुक्त शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

(48)

21

(9) किसानों को रसीद :

राज्य सरकार द्वारा रियायत की राशि ऋणी के खाते में जमा करने के उपरान्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुदान राशि की रसीद ऋणी को प्रदान की जावेगी। रसीद में "राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ब्याज अनुदान राशि "....." का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा।

(10) अन्य :–

अ. योजना के सफल कियान्वयन हेतु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेगा जिसकी अनुपालना प्रत्येक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को अनिवार्यतः करनी होगी।

ब. योजना राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में लागू होगी।

स. राज्य सरकार एवं राज्य भूमि विकास बैंक का यह अधिकार होगा कि इस योजना के परिपेक्ष्य में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के रिकार्ड का औचक निरीक्षण स्वयं अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से करवा सकेंगे।

द. यदि आगामी वर्षों में बजट घोषणा की जाती है तो नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा प्रथमतः सम्पूर्ण वर्ष में देय ब्याज अनुदान राशि का आँकलन किया जावेगा तथा उस वर्ष के लिए आवश्यक अनुदान राशि का निर्धारण करने के बाद शेष रहे प्रावधान का उपयोग नये दीर्घावधि ऋणों के वितरण उद्देश्य के लिए किया जावेगा, ताकि उस वर्ष में देय कुल अनुदान राशि उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक नहीं हो।

द. योजना की कियान्विति हेतु समय–समय पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देश मान्य होंगे।

संयुक्त शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2019 के मध्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत अनुदान योजनान्तर्गत

दावा प्रपत्र

(श्रेणीवार विभाजन)

नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक : .....

(दावों की अवधि : दिनांक ..... से दिनांक ..... तक)

श्रेणी	खातों की संख्या	देय मांग			देय ब्याज (कॉलम सं. 4 में से)				
					किसान से प्राप्त वसूली	रियायत राशि			
						राज्य सरकार की 5 प्रतिशत	RSLDB द्वारा		
		मूलधन	ब्याज	योग			वर्ष 2015–16 में वितरित ऋणों पर	वर्ष 2016–17 में वितरित ऋणों पर	वर्ष 2017–18 में वितरित ऋणों पर #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुसूचित जाति									
अनुसूचित जन जाति									
सामान्य वर्ग									
योग									

 # यदि राज्य बैंक स्तर से ऐसी कोई योजना लागू की गई हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार किसानों की ओर तालिका में वर्णित मांग में मूलधन एवं ब्याज में किसान के हिस्से की वसूली प्राप्त हो गई है। सम्बन्धित ऋणियों के खातों में राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत देय अनुदान राशि फिलहाल राज्य सरकार के नामे लिखी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा देय रियायत राशि का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त खातों की ऋणीवार विस्तृत सूचना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जो सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर सचिव :

नाम :

मुहर :

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0,
क्षेत्रीय कार्यालय, ...

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर दावों की जांच उपरान्त दावे नियमानुसार एवं सही पाये गये एवं राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू. ..... के भुगतान की अनुशंषा की जाती है।

दिनांक :

हस्ताक्षर क्षेत्रीय प्रबन्धक :

नाम :

मुहर :

परिशिष्ट – 2

दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2019 के मध्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत अनुदान योजनान्तर्गत

दावा प्रपत्र

(शाखावार विभाजन)

नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक : .....

(दावों की अवधि : दिनांक ..... से दिनांक ..... तक)

श्रेणी	खातों की संख्या	देय मांग			देय ब्याज (कॉलम सं. 4 में से)				
						रियायत राशि			
							RSLDB द्वारा		
		मूलधन	ब्याज	योग	किसान से प्राप्त वसूली	राज्य सरकार की 5 प्रतिशत	वर्ष 2015–16 में वितरित ऋणों पर	वर्ष 2016–17 में वितरित ऋणों पर	वर्ष 2017–18 में वितरित ऋणों पर #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

 # यदि राज्य बैंक स्तर से ऐसी कोई योजना लागू की गई हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार किसानों की ओर तालिका में वर्णित मांग में मूलधन एवं ब्याज में किसान के हिस्से की वसूली प्राप्त हो गई है। सम्बन्धित ऋणियों के खातों में राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत देय अनुदान राशि फिलहाल राज्य सरकार के नामे लिखी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा देय रियायत राशि का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त खातों की ऋणीवार विस्तृत सूचना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जो सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर सचिव :

नाम :

मुहर :

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0,
क्षेत्रीय कार्यालय, ...

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर दावों की जांच उपरान्त दावे नियमानुसार एवं सही पाये गये एवं राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू. ..... के भुगतान की अनुशंषा की जाती है।

दिनांक :

हस्ताक्षर क्षेत्रीय प्रबन्धक :

नाम :

मुहर :